



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-647/ 35२८
प्रति.

रायपुर, दिनांक ११ / 10/2018

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषय:- कोण्डागाँव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक आप्टिक फायबर केल बिछाने हेतु 0.674 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत महाप्रबंधक, जियो इन्फोकाम, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने वाबद।

- प्रस्ताव कंमाक FP/CG/Others/ 20475 / 2016

- संदर्भ:** 1. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 7-3/2018/10-2 रायपुर, दिनांक 26.05.2018
2. वन मंडलाधिकारी, केशकाल वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 4349 दिनांक 29.06.2018

= ० =

1. छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा संदर्भ पत्र-1 के माध्यम से क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारियों को आप्टिकल फाईबर केल बिछाये जाने के ऐसे प्रकरणों में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवेदक संस्थान को स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया है, जिनमें वृक्षों का विदोहन शामिल नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान / वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रभावित नहीं होते हैं, जो RoW (राईट आफ वे) के अंतर्गत है तथा जिनमें खंती का अधिकतम आकार 2 मीटर गहरा एवं 1 मीटर चौड़ा है।

2. उक्त पत्र द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वन मंडलाधिकारी, केशकाल ने विषयांकित प्रकरण में 0.674 हे. वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की अनुमति जारी की है जिसे छ.ग. शासन, वन विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ई.डी.एस किया जा रहा है। कृपया व.म.अ. केशकाल द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति आदेश परिवेश पोर्टल में अपलोड करने का कष्ट करें।

१३५
(एस. एस. बजाज)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. स. अ.)
०८ छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-694/५२९६
प्रति,

रायपुर, दिनांक २६/१२/२०१८

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषय:-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed land for bastar Net Project is about creating an optical fiber backbone network to boost the internet and telecome connectivity in Narayanpur division, area 0.854 ha.

Registration No. FP/CG/Other/32736/2018

- संदर्भ:** 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 7-3/ 2018/ 10-2 दिनांक 26.05.2018
2. वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल का पत्र क्रमांक/मा.चि/4540 दिनांक 09.08.2018

= ० =

1.0 छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा संदर्भित पत्र-1 से क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारियों को आप्टिकल फाईबर केबल बिछाये जाने के ऐसे प्रकरणों में जिनमें वृक्षों का विदोहन शामिल नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रभावित नहीं होते हैं, जो RoW (राईट ऑफ वे) के अंतर्गत है तथा जिसमें खंती का अधिकतम आकार 2 मीटर गहरा एवं 1 मीटर चौड़ा है। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवेदक संस्थान को स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया है।

2.0 उक्त पत्र द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर ने विषयांकित प्रकरण में 0.854 हे. वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की अनुमति जारी की है जिसे छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ई.डी.एस. किया जा रहा है। कृपया वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति आदेश परिवेश पोर्टल में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

५१/२६/१
(एस.एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.स.अ)
०/८ छत्तीसगढ़

नारायणपुर वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com / dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मार्गिनो/ 4540

नारायणपुर, दिनांक ०६.५.२०१८

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 छत्तीसगढ़ ईन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी,
 चृचीय तल स्टेट डाटा सेन्टर बिल्डिंग
 सिविल लाइन, रायपुर (छोगो)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed land for Bastar Net Project is about creating an optical fibre backbone network to boost the internet and telecome connectivity in Narayanpur Division, area 0.854 ha. regarding.

Registration No. FP/CG/Other/27433/2017


- संदर्भ :- (1) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 7-3/2018/10-2 दिनांक 26.05.2018
- (2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व से अ) का पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/ विविध /115-694 /1113 दिनांक 07.04.2018 एवं पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/ विविध 115-694 द/1819 रायपुर दिनांक 15.06.2018

—:00—

विषयांतर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर छोगो शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक /एफ-7-3/2018/10-2 रायपुर दिनांक 26.05.2018 में निहित ग्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरात एतद द्वारा नारायणपुर जिल के नारायणपुर वनमण्डल अंतर्गत 0.854 हेक्टर भूमि में भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स रेटेट डाटा सेन्टर भवन सिविल लाइन रायपुर छोगो को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

- 6-(i) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-7-3/2018/10-2 दिनांक 26.05.2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण की सीमा के बाहर मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में निर्धारित साईज (2मी0 गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) खंडी हेतु अनुमति दी गई है।
- (ii) वन भूमि व्यापकतन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही ही जाती है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे -किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।
- (iii) वन भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल /भूमिगत टेलीफोन लाइन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंडी का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।
- (iv) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
- (v) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- (vi) कार्य उपरान्त रखरखाव की अनुमति वनमण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खंडी की खुदाई के उपरान्त समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।

- (vii) समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं की व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।
- (viii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।
- (ix) खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जाएगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।
- (x) यदि आवेदक /आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुचाई जाती है, तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दार्पणक कार्यवाही की जाएगी।
- (xi) आवेदक /आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र देगे कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें उन्हे मान्य होंगी।
- (xii) प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप आप्टिकल फायबर केबल लाइन का भार्ग संरेखित किया जायेगा तथा भार्ग परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
- (xiii) रेल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदन कर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सके।
- (xiv) आवेदक संस्थान वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर के पूर्व अनुमति के बिना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा।
- (xv) वन भूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागु होने वाले समर्त नियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तों का पालन किया जाएगा।
- (xvi) बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन मान जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नौजल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को आवेदक संस्था निवेदन करेगे।
- (xvii) क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्य जीव (Flora & Fauna) के संरक्षण/ विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
वनमण्डल कार्यालय में उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही प्रकरण पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जावेगा। जब तक यह वनमण्डल द्वारा औपचारिक अनुमोदन जारी नहीं किया जायेगा तब तक वनभूमि पर कोई करने की अनुमति नहीं है।


 वनमण्डलाधिकारी,
 वनमण्डल नारायणपुर

क्रमांक/मार्गिन/ ४५५।

प्रतिलिपि:-

- (01) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्राउण्ड फ्लोर इस्टर्न विंग, न्यू सेकेटेरियट बिल्डिंग VCA स्टेडियम के सामने सिविल लाईन नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (02) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.आ.) अरण्य भवन, सेक्टर -19 नार्थ ब्लाक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (03) मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (04) कलेक्टर जिला— नारायणपुर की ओर सूचनार्थ।
- (05) उपवनमण्डलाधिकारी उत्तर/दक्षिण उपवनमण्डल एवं परिक्षेत्र अधिकारी नारायणपुर /बेनूर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

नारायणपुर, दिनांक ०९/०८/२०१८

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर